

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 1(कोविड-19)/प्रशा/निकाशि/21/ 5268

दिनांक:- 1/6/2021

आदेश

गृह (गुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा मॉडिफाईड लॉकडाउन संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के तहत 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दिनांक 02.06.21 से प्रातः 9.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक तथा दि० 07.06.21 से 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय खोले जाने हेतु अनुमत किये गये हैं।

अतः कॉलेज शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्तालय/समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय/समस्त राजकीय/विधि/कन्या महाविद्यालय (राजस्थान), राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एवं राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि गृह विभाग के आदेश दि० 31.05.21 की अनुपालना सुनिश्चित करें।

rah
01/06/2021
(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक:-एफ 2(कोविड-19)/स्था/निकाशि/20/ 5268

दिनांक:- 1/6/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी./ प्रशासन/ आयोजना/ अकादमिक /निजी संस्थायें /रूसा /आर.वी.आर.ई.एस.), प्रभारी (इनोवेशन/छात्रवृत्ति) को पालनार्थ।
- 4 समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
- 5 प्राचार्य, समस्त राजकीय/विधि/कन्या महाविद्यालय (राजस्थान), राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एवं राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
- 6 वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को अपलोड करने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।

का
1/6/2021
(डॉ के एल सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)